उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-12/2018/आडिट-1-908 /दस-2018-320(4)/2018
लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार जिसमें पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा, निम्नलिखित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों/जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित जनपद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद/मण्डल	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री विनोद कुमार राय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	लखनऊ	उन्नाव
2	श्री कैलाश चन्द्र मिश्र, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	मुरादाबाद मण्डल (सहारनपुर मण्डल का अतिरिक्त प्रभार)	शामली
3	श्री राकेश कुमार सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	अलीगढ़ मण्डल	अलीगढ़ एवं सम्भल

2- उपरोक्त अधिकारियों को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/आडिट-1-908(1)/दस-2018-320(4)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4– सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
5– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

बराती लाल
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in